भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2437
(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2015 को दिया गया)

दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के विरूद्ध शिकायत की जांच

2437. श्री हुसैन दलवई:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) को दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डी डी सी ए) के विरूद्ध कोई शिकायत मिली है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में एस एफ आई ओ द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री **(श्री जयंत सिन्हा)**

(क) और (ख): एसएफआईओ ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट ऐसोसिएशन (डीडीसीए) के कार्यों में अनियमितता और कुप्रबंधन संबंधी श्री एन.सी.बक्शी द्वारा की गई शिकायत कारपोरेट कार्य मंत्रालय में अग्रेषित की थी। मंत्रालय ने दिनांक 28.09.2012 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के तहत डीडीसीए के कार्यों की जांच का आदेश दिया था। प्रादेशिक निदेशक (उत्तर क्षेत्र) के नेतृत्व में एक टीम ने डीडीसीए का निरीक्षण किया था, जिसमें एसएफआईओ का एक अधिकारी भी शामिल था। इस निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर प्रादेशिक निदेशक (आरडी)/कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के साथ पठित धाराएं 36, 150, 166/210, 209(1), 209(3)(ख), 211 और लेखांकन मानक 5, 15, 18, 19, 22 और 29 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएं 217(3), 285, 299, 303, 309, 314 और 211(3क)/(3ग) के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था।

*****